AMENDMENTS TO COMPANIES (CENTRAL GOVERNMENT'S) GENERAL RULES AND FORMS

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956, a copy of Notification No. S.R.O. 3867, dated the 7th December, 1957 making certain amendments to the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956. [*Placed in Library. See* No LT-440|57]

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL*

The Minister of Works Housing and Supply (Shri K. C. Reddy): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952."

The motion was adopted

Shri K. C. Reddy: Sir, I introduce the Bill.

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) BILL AND ESTATE DUTY AND TAX ON RAILWAY PASSENGER FARES (DISTRIBUTION) BILL

Mr. Speaker: The House will now resume further discussion on the Union Duties of Excise (Distribution) Bill, 1957 and the Estate Duty and Tax on Railway Passenger Fares (Distribution) Bill, 1957. Out of 3 hours and 30 minutes agreed to by the House for general discussion of both the Bills, 1 hour and 16 minutes have already been availed of and 2 hours and 14 minutes now remain. After the general discussion is over, clause by clause consideration and third reading of these Bills will be taken up for which 30 minutes will be available.

Seth Achal Singh may continue his speech.

सेठ अचल सिंह (आगरा) अध्यक्ष महोदय, जो एक्साइज ड्यूटी के बटवारे का बिल हमारे सामने पेश है उसका मै स्वागत करता हू । यह बिल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है । लेकिन हमे इस बात का अफसोस है कि जो पहले ४० फी सदी एक्साइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होती थी उसको २५ फी सदी कर दिया गया है । इस वक्त तीन चीजो की एक्साइज ड्यूटी का बटवारा होता था, अब चार और चीजे बढा दी गई है । अब गवर्नमेंट को २६ करोड रुपया स्टेट्स को देना होगा जब कि वह पहले २२ करोड देती थी । लेकिन स्टेट्स की जो फाइनेन्स की माग है वह इससे पूरी नही हो सकती है । अच्छा तो यह होता कि जो ४० परसेंट पहले दी जाती थी वही दी जाती रहे । लेकिन अगर फाइनेन्स कमीशन की यह रिपोर्ट है कि बजाय ४० के २५ परसेंट दिया जाये, तो मुझे उसमें कोई एतराज नही है, क्योकि सेंटर से स्टेट्स को दूसरे मुहकमो में, पंचवर्षीय योजना मे और डेवलपमेंट के कामों मे सहायता मिलती है । सेंटर की आमदनी और स्टेट्स की आमदनी करीब करीब बराबर है । ऐसी सूरत में सेंटर का यह फर्ज है कि जो स्टेट्स उससे सम्बन्ध रखती है उनको हर तरह की सहायता दी जाये ।

मै इसका भी स्वागत करता हूं कि स्टेट्स को सेंटर को लोन देने थे उनकी मियाद १५ और ३० बरस कर दी गई है । इसके अलावा जो इनकम टैक्स ५५ परसेंट

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated 13-12-57 pp. 953-54.